

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कमांक:- मुसप्र/2016/1066

दिनांक:- 8-1-16

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड प्रथम बीकानेर के अधीन अवशेष आवासो का नियमानुसार निस्तारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा निर्देशानुसार प्रदान की जाती है, आवासो का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1	मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर	मध्यम आय वर्ग-ब	9/12, 13/34, 14/360	03
		उच्च आय वर्ग	9/104, 8/636	02
		कुल		05

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-बीकानेर निम्न शर्तों के आधार पर नीलामी योजना से आवासो का निस्तारण करना सुनिश्चित करे :-

1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास नीलामी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त आवासो का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. आवासो का निस्तारण नीलामी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है।
6. मण्डल द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.33/मुसप्र/खुली ब्रिकी/10-11/2107 दिनांक 12.11.10 की पालना सुनिश्चित की जावें।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त -बीकानेर, रा0आ0म0 बीकानेर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम, रा0आ0म0 बीकानेर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र. (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबन्धक (मु0)